

प्रारूप- २.५३

फैक्ट फाइल

1. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हैरो में) कर्णगाँव से राजराजेश्वरी मंदिर तक घोटे भाग।	
2. आरक्षित वन भूमि—	3.1766 ₹०
वन पंचायत —	0.50 ₹०
सिविल सोयम वन भूमि —	0.0609 ₹०
नाप भूमि —	0.3375 ₹०
	योग— 3.575 ₹०

2	प्रस्तावित निभाग का नाम	अ० ख० ल० न० वि० घनसाली
3.	वन प्रभाग का नाम	सिविल सोयम वन प्रभाग घनसाली
4	प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है	हूं/ नहीं
5	प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है	हूं/ नहीं
6	क्या भारत सरकार के प्रारूप के नाम 1,2 और 3 संलग्न है।	हूं/ नहीं
7	क्या प्रारूप में वांच्छित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है।	हूं/ नहीं
8	प्रभावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है।	हूं/ नहीं
9	प्रभावित होने वाजे वृक्षों की संख्या की सूची/ प्रमाण पत्र संलग्न है।	हूं/ नहीं

10. बांज प्रभावितो के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है। हूं/ नहीं

11. प्रभावित होने वाजे वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है। हूं/ नहीं

12. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। हूं/ नहीं

13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। हूं/ नहीं

14. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना नये स्थल उपयुक्तता प्रमाण—पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। हॉ / नहीं

15. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की दर्शाया गया है। हॉ / नहीं

16. प्रस्तावित माग्र के द्वानो और/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है। हॉ / नहीं

17. क्या परियोजना क्षेत्र अन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हॉ / नहीं

18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरिडोर अस्कोट मिर्ग बिहार का हिस्सा है यदि हॉ तो मुख्य वन जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है। हॉ / नहीं

19. क्या प्रस्ताव क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है। हॉ / नहीं

20. प्रस्तावित माग्र नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनायसा जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) हॉ / नहीं

21. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग—अलग रंगों से भरा गया है। हॉ / नहीं

22. यदि सड़क का आरभिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है। हॉ / नहीं

23. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षक) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है।
हॉ/नहीं

24. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोशी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय। हॉ/नहीं

25. सड़क निर्माणहेतु तला भी गई अन्य सम्भावनाएँ /वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शायें गये हैं। हॉ/नहीं

26. वैकल्पिक समरेखणों की निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जायें)
हॉ/नहीं

27. लागत लाभ वि लेशण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 है 0 से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) हॉ/नहीं

28. मानचित्र व बार चार्ट में एकरुक्ता है हॉ/नहीं

29. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है हॉ/नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध मे प्रमाण—पत्र संलग्न है।

30. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली भार्ती का प्रभाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। हॉ/नहीं

31. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण—पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न हैं यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं। हॉ/नहीं

32. यदि वन भूमि लीज पर दी जानह है तो लहज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है। हॉ/नहीं

33. वित्तीय/प्रा ासनिक स्वीकृति संलग्न हैं हॉ/नहीं

34. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न है। हॉ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट भीट चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई है। हॉ/नहीं

अधिकारी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक विर्ग विभाग
घनाती, १० य०
अधिकारी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक विर्ग विभाग
घनाती, १० य०